

प्रपत्र-23

कलिपाला ग्वाड़ बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे

परियोजना का नाम:- नैल जीमडी सेस मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

ग्राम पंचायत का नाम:- फरकण्डे

तहसील गैरसैण, जनपद-चमोली।

डिग्री कालेज अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में नैल जीमडी सेस मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि-... है 0 सिविल वन भूमि-... है 0 कुल 1:0:15 है 0 का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत... द्वारा दिनांक 27/11/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1:0:15 है 0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0

ग्राम सचिव

सदस्य क्षेत्र पंचायत
वार्ड सं0 15 फरकण्डे
वि0ख0 गैरसैण (चमोली)



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ सलग्न किया जाना है।

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैंड से डिग्री कालेज फरकण्डे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.015 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण। लम्बाई 2.00 कि०मी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैण

उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फरकण्डे
(1.015 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.015 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.015 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.015 हे० वन भूमि) का लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गैरसैण) की दिनांक 26/2/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री पताप सिंह नेगी प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री सुरेन्द्र लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/साधव
- 4- श्री सुरेन्द्र लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य

उपखण्ड साधव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कलियाणा-ग्वाड बैंड से डिग्री कालेज फरकण्डे

परियोजना हेतु 1.015 हे० वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत कलियाणा-ग्वाड बैंड से डिग्री कालेज परियोजना के निर्माण हेतु 1.015 हे० वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- गैरसैण
जनपद- चमोली
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

26/2/15
तहसील - गैरसैण
जिला - चमोली

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- गैरसैण
जनपद- चमोली

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Chamoli** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. *Ashok Kumar* I.A.S deputy commissioner, ... *Chamoli* on dated *7/3/15* at time *4.00 P.m.* at *Gropewar* in which application claiming rights in **Gairsain** area measuring **1.015** hect for the construction of **Kalyana Gwad Band to Degree College Furkhande**, M/R forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Furkhande, Rikholi, Nail Kumoli**, sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: *Gropewar*

Dated: *7/3/15*

[Signature]
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee